

2020/00069

न्यायालय न्यायाधीश वकील जिला जयपुर

49/20 - श्री रवीन्द्र - न्यायाधीश जयपुर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु आनेक अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं किये न्यायाद्वित में साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/12/22 की पेश हो।
	27/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली न्यायालय दिनांक 20/12/22 को पेश हो।
	30/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी अनुपस्थित। न्यायालय सुभय तक रुक रुक कर बार बार आवजे लगावई गई परन्तु ना तो वादी हाजिर हुआ ना ही उसकी ओर से कोई वकील आई हाजिर हुआ। अतः वादी का वाद अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी में खारिज किया जात है। पत्रावली नष्ट कर दे कम होकर बाद वकील दाखिल दफ्तर हो। [Signature] न्यायाधीश वकील जिला जयपुर